नाबार्ड

संदर्भ सं. राबैं. पुनर्वित्त / 3205 / पीपीएस-156 / 2018-19

25 मार्च 2019

परिपत्र सं. 78 / पुनर्वित्त - 24 / 2019

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

महोदया/ प्रिय महोदय,

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त नीति - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी**

वित्त वर्ष 2019-20 हेतु योजनाबद्ध ऋण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पुनर्वित्त नीति को अंतिम रूप दिया गया है और इसे हम इसके साथ भेज रहे हैं. यह नीति इस संबंध में वर्तमान नीतियों का अधिक्रमण करती है.

2. इस परिपत्र को नाबार्ड की वेबसाईट www.nabard.org पर टैब इन्फर्मेशन सेंटर के अंतर्गत रखा गया है.

3. कृपया पावती दें.

भवदीय

(जी आर चिंताला)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : 5 पृष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित विभाग
प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department Of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

# योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - वित्तीय वर्ष 2019-20

## 1. परिचय

राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 25 (i) (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत नाबार्ड अनुमोदित वित्तीय संस्थानों को दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध करा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और कृषि के लिए अन्य, संबंध गतिविधियां, ग्रामीण आवास के साथ-साथ ग्रामीण ऑफ-फार्म सेक्टर गतिविधियों के लिए उनके द्वारा अपने संसाधनों द्वारा दिये गए दीर्घकालिक ऋणों को परिशिष्ठ करना है.

## 2. दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नप्रकार हैं:

i. कृषि क्षेत्र के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि पूंजी निर्माण को सहयोग देना.

ii. ऋण प्रवाह को बल क्षेत्र की गतिविधियों के संवर्धन हेतु ले जाना.

iii. संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की ऋण जरूरतों को पूरा करना.

iv. कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों के लिए सहयोग देकर ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की सुविधाओं का संवर्धन.

## 3. निभाव की प्रकृति

ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीओं को उनके द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए किए गए संवितरण के संबंध में पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदान की जाती है:

### 3.1. स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूर्व-स्वीकृति की औपचारिकताओं की व्यापक प्रक्रिया से गुजरे बिना नाबार्ड से वित्तीय निभाव प्राप्त कराती है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा है कि वे अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे और उधारकर्ता को वित्त प्रदान करेंगे. इसके बाद बैंक नाबार्ड से घोषणा (आहरण आवेदन) के आधार पुनर्वित्त के लिए दावा करेगा. आवेदन में पुनर्वित्त दावे के विभिन्न उद्देश्यों और संवितरित ऋण राशि का उल्लेख रहेगा. ऐसे मामलों में नाबार्ड पुनर्वित्त की स्वीकृति और संवितरण एक साथ करेगा.

### 3.2. पूर्व मंजूरी

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अगर पूर्व मंजूरी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्वित्त का लाभ लेना चाहे तो, इन्हें नाबार्ड के अनुमोदन हेतु परियोजना प्रस्तुत करना आवश्यक है. मंजूरी से पूर्व इसकी तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक साध्यता का निर्णय करने के लिए नाबार्ड इन परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा.

## 4. पात्रता मानदंड

समय-समय पर नाबार्ड से पुनर्वित्त आहरण के लिए पात्रता मानदंडों की समीक्षा की जाती है. वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं.

**4.1 पंजीकरणः** संस्था के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए के अधीन एक अनुमोदित वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.

**4.2 ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का प्रकारः** जमाराशियां लेने वाली और जमाराशियां न लेने वाली दोनों ही प्रकार की ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं नाबार्ड से पुनर्वित्त लेने के लिए पात्र होंगी.

**4.3 कारोबार अवधिः** ऋण मंजूरी तिथि को संस्था कम-से-कम पिछले 5 वर्ष से ऋण देने के कारोबार में कार्यरत होनी चाहिए.

**4.4 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर)** - संस्था का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अनुसार होना चाहिए (वर्तमान में यह **15%** है).

**4.5 निवल लाभः** गत 4 वर्षों में (वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 में से तीन वित्तीय वर्ष) से कम से कम 3 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ होना चाहिए बशर्ते पूर्ववर्ती (वर्ष 2018-19 में) निवल हानि नहीं होनी चाहिए.

**4.6 निवल अनर्जक आस्तियां:** निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का स्तर 4% या इससे कम होना चाहिए.

**4.7** संस्था के संगम ज्ञापन (मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन) में उच्चतर वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का प्रावधान होना चाहिए.

**4.8 ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की रेटिंग**

i. ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की न्यूनतम रेटिंग (दीर्घावधि ऋण प्रलेखों और बैंक सुविधाओं और मीयादी निक्षेप कार्यक्रम पर) "एए" होनी चाहिए बशर्ते वे अन्य नियम और शर्तों को पूरा करते हों. यह रेटिंग क्रिसिल या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित किसी समकक्ष रेटिंग संस्था से प्राप्त की जानी चाहिए. 'एएए'/एए रेटिंग में (+,-) शामिल है.

ii. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पात्रता मानदंड में रियायत देते हुए ‘ए’-

**4.9** 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 अवधि के लिए 31 मार्च 2018 अथवा 31 मार्च 2019 की (यदि 31 मार्च 2019 की स्थिति की लेखापरीक्षा उपलब्ध हो तो) लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर **पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन** किया जाएगा. 01 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए 31 मार्च 2019 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन आधारित होंगे. 01 जुलाई 2019 को या इसके बाद केवल उन्हीं बैंकों को स्वीकृति और आहरण की अनुमति होगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली है.

**4.10** वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान यदि कोई सुधार होता है तो सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटंट) से विधिवत् प्रमाणपत्र और क्षेत्रीय कार्यालय से इसी प्रकार की सिफारिश प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

**4.11** कृषि और कृषीतर क्षेत्रों दोनों के अधीन पुनर्वित्त के आरहण के लिए पात्रता मानदंड लागू होंगे.

**4.12** उधारकर्ता को ऋण की लागत के मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के 01 सितंबर 2016 को जारी मास्टर परिपत्र सं. आरबीआई/ डीएनबीआर/ 2016-17 / 44 (मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर.पीडी.007/03.10.119/ 2016-17) और आरबीआई/ डीएनबीआर/2016-17 /45 (मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर. पीडी. 008/ 03.10.119/ 2016-17) का पालन करना चाहिए.

## 5. पात्र प्रयोजन

ग्रामीण और संबंध गतिविधियों हेतु दीर्घावधि ऋण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र गतिविधियाँ, सूक्ष्म, छोटे, मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और आहरण आवेदन तिथि को 18 महीने से अधिक शेष परिपक्व अवधि वाले गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बही खातों में बकाया अन्य पात्र ऋण पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

## 6. ब्याज दर

**6.1 पुनर्वित्त पर ब्याज दर :** पुनर्वित्त की ब्याज दर का निर्धारण पुनर्वित्त की अवधि, वर्तमान बाजार दर, जोखिम अवधारणा इत्यादि के आधार पर किया जाएगा और इसमें समय-समय पर परिवर्तन किया जाएगा. सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए जोखिम आकलन मॉड्यूल के आधार पर 9 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तद्नुसार निर्धारित जोखिम प्रीमियम पुनर्वित्त पर ब्याज दर से अधिक प्रभारित किया जाएगा.

**6.2 दंडात्मक ब्याजः** चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए और चूक की राशि पर संवितरित पुनर्वित्त की निर्धारित ब्याज दर से 2% प्रति वर्ष अधिक की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

**6.3 पुनर्वित्त की अवधि-पूर्व चुकौती के लिए दंडः** अवधि-पूर्व चुकौती की स्थिति में शेष अवधि के लिए 2.50% प्रति वर्ष और प्रत्येक किस्त के लिए पूर्व चुकौती की तिथि से चुकौती की वास्तविक तिथि तक की पूर्ण अवधि (न्यूनतम 6 महीने) तक के लिए अलग से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा. न्यूनतम 3 कार्य दिवस की सूचना देने के बाद ही पूर्व चुकौती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

## 7. चुकौती अवधि

पुनर्वित्त के लिए चुकौती अवधि न्यूनतम 18 महीने (न्यूनतम) और 5 वर्ष या उससे अधिक होगी. चुकौती हर वर्ष छमाही आधार पर 31 जनवरी / 31 जुलाई को की जाएगी. पुनर्वित्त पर ब्याज का भुगतान हर वर्ष छमाही आधार पर 01 फ़रवरी और 01 अगस्त को करना होगा. *मासिक/तिमाही आधार पर ब्याज भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध हैं.*

## 8. प्रतिभूति मानदंड

ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए प्रतिभूति के मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

i. प्रतिभूति निम्नानुसार होगी :

  - एएए रेटिंग वाली संस्थाओं को जारी पुनर्वित्त का 1.12 गुना
  - एए रेटिंग वाली संस्थाओं को जारी पुनर्वित्त का 1.18 गुना
  - ए रेटिंग वाली संस्थाओं को जारी पुनर्वित्त का 1.25 गुना

ii. प्रतिभूति के मूल्य में कमी यदि कोई हो, की पूर्ति अतिरिक्त प्रतिभूतियों के माध्यम से की जाएगी ताकि नाबार्ड की देयताओं के संबंध में उपर्युक्त पुनर्वित्त बकाया न्यूनतम 1.12/1.18/1.25 गुना तक की पर्याप्त प्रतिभपूति उपलब्ध हो सके.

iii. सभी प्रतिभूतियां आय अर्जक आस्तियों से संबंधित ही होनी चाहिए.

iv. पुनर्वित्त से दिए गये ऋणों के लिए ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उधारकर्ताओं से ली गई प्रतिभूतियों को नाबार्ड के न्यास के रूप में अपने पास रखना होगा.

v. नाबार्ड के साथ सामान्य पुनर्वित्त क़रार का निष्पादन करना.

vi. ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के मुख्य बैंकर के पास रखे गए चालू खाते को नामे करने का अधिदेश.

vii. निर्धारित प्रपत्र में निदेशक-मंडल द्वारा पारित संकल्प.

viii. नाबार्ड के पक्ष में बही ऋण का समनुदेशन और पुनर्वित्त से बनी आस्तियों पर कंपनी निबंधक के पास भार का पंजीकरण. तथापि, आवश्यकता हो तो, लिए गए पुनर्वित्त हेतु ली गई आस्तियों पर पूर्ण अधिकार देने के बजाय, विशेष मामले के रूप में, पूर्ण अधिकार के स्थान पर हम ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आस्तियों पर समरूप (पारी-पसू) अधिकार को स्वीकार कर सकते हैं.

ix. बही ऋण के समनुदेशन के लिए विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित करार, सुपुर्दगी पत्र और मांग वचन पत्र (डीपीएन) फार्मेट्स, ऋण/ प्रतिभूति की पावती.

x. जहां भी संभव हो कारपोरेट गारंटी / वैयक्तिक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी.

## 9. अनुप्रवर्तन

पुनर्वित्त के निबंधनों व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर सत्यापन/ जांच का अधिकार नाबार्ड को होगा.

**10.** वर्तमान में लागू अन्य सभी निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.